मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर: भोपाल, दिनांक 8 /02/2018

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषय-स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में जारी आदेश दिनांक 16.11.2017 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किये जाने बाबत।

संदर्भ-उद्योग संचालनालय का पत्र क्रमांक 3/स्वरो(1)/5/3(ब)/2016/923 दिनांक 30-01-2018

विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर, दिनांक 16-11-2017 के संबंध में चाहा गया स्पष्टीकरण निम्न अनुसार दिया जाता है :-

क	विभागीय पत्र क्रमांक एफ 2-121/2017/अ-तेहत्तर,दिनांक 16-11-2017 में उल्लेख	स्पष्टीकरण
1	2	3
1	1.1 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (ii) पात्रता (ग) आय सीमा तथा 1.3 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (ii) पात्रता (ग) आय सीमा अंतर्गत निम्न अनुसार उल्लेख है :- कोई बंधन नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आय सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो, से अभिप्राय केवल आवेदक आयकरदाता न हो, से है।

1	2	3
2	योजना अंतर्गत दिनांक 16.11.2017को जारी आदेश के संबंध में कुछ बैंकों एवं महाप्रबंधकों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि उक्त दोनों योजनाओं में दिनांक 16.11.2017 के पूर्व से ही प्रक्रियाधीन आवेदनों के संबंध में नये प्रावधानों को कब से किस प्रकार लागू माना जाये?	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को प्राप्त जिन आवेदनों को दिनांक 16.11.2017 के पूर्व टास्क फोर्स कमेटी (TFC) की अनुशंसा उपरांत बैंकों को अग्रेषित किया गया है, उन पर पात्रता, बैंक स्वीकृति/ वितरण एवं अनुदान इत्यादि हेतु पूर्व के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा दिनांक 16.11.2017 अथवा तत्पश्चात टास्क फोर्स कमेटी (TFC) से अनुशंसित प्रकरणों में नवीन दिशा, निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश
(स्वरोजगार योजना कक्ष)

पृ0क्र स्वरो/5(3-ब)/2014/1058 — 1225 भोपाल, दिनांक 09.02.2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संस्थागत वित्त, विध्याचल भवन, भोपाल ।
2. संभागायुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश ।
3. कलेक्टर (समस्त) मध्यप्रदेश ।
4. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स,भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समन्वयक,एसएलबीसी उप समिति (एम.एस.एम.ई.), पंजाब नेशनल बैंक, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त बैंक स्टेट हेड्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. परिक्षेत्रीय अधिकारी (समस्त) परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. महाप्रबंधक (समस्त), जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. शाखा प्रबंधक (समस्त नोडल बैंक) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/भारतीय स्टेट बैंक/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ बडौदा/पंजाब नेशनल बैंक/इलाहबाद बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/देना बैंक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप संचालक,

कृते उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश